# फर्द अहकाम
(नियम 26)
# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री छैलसिंह
जाति राजपूत निवासी जामोतरा
तहसील सिरोही जिला सिरोही।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 05 वर्ष 2026

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 35 / 2025 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु पेश किया। जिस पर प्रार्थी पक्ष को सुना गया। प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि उक्त वाद में जबावदावा पेश करने के पश्चात प्रत्येक माह में पांच–छः पेशी दी जा रही है एवं प्रत्येक पेशी पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उसे बार–बार बुलाया जा रहा है तथा उक्त प्रकरण में वादिया श्रीमती सरोज कंवर द्वारा प्रार्थी का कहा गया है कि उसने एस.डी.एम. से बात की हुई है और वह एक महीने में फैसला करवा कर कब्जा प्राप्त कर लेगी। अतः प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी सिरोही से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी द्वारा किए गए कथनों का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा यह कथन तो किया गया है कि वादिया सरोज कंवर की एस.डी.एम. सिरोही से बात हो रखी है और वह उक्त प्रकरण में एक माह में फैसला करवा कर कब्जा प्राप्त कर लेगी, परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि न्यायपालिकाओं में निजी हस्तक्षेप से परे जाकर साक्ष्य एवं दस्तावेज के अवलोकन एवं गुणावगुण के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है। अतः प्रार्थी का यह कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी को वादिया सरोज कंवर द्वारा प्रकरण में हस्तक्षेप के कारण न्याय की उम्मीद नहीं है। यदि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं भी होता है, तो उसके पास उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का भी विकल्प मौजूद है और वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>(अल्पा चौधरी)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |